

7 14 21 28
8.5.24
23.6.24

25924
400

2024/29

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर
भानीराम बनाम मदनलाल व अन्य

निगरानी अपील प्रकरण सं० 05/2024

अधिवक्ता निगरानीकर्ता :- श्री बलराम स्वामी अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता :-
तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

अ. नं. 01
31/03/2024
निगरानीकर्ता
नंबर
तारीख

24.6.24
22/7/24
28.8.24
28.10.24

27.02.2024

अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित। निगरानी बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाती है। पत्रावली वास्तु तलवी एवं रिपोर्ट तलवी हेतु दिनांक 27.03.2024 को पेश हो।

358-359
27/2/24

611-612
08/5/24

पीठासीन अधिकारी अवकाश ग्रहण पर मुताबिक कार्रवाई नहीं है। पत्रावली के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 27.3.24 को पेश हो।

पीठासीन अधिकारी अवकाश ग्रहण पर कार्रवाई नहीं है। पत्रावली के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 03/6/24 को पेश हो।

रैफॉन. 02 की ओर से अधिवक्ता औमशंकरा वर्मा वकालतनामा पेश किया जा रहा है।

द्वारा संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी मुताबिक पत्रावली है। पत्रावली दिनांक 24/6/24 को पेश हो।

24/6/24

पत्रावली पेश हुई। रैफॉन 02 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया शामिल किच गभा। मंडावली से रिपोर्ट भेगवाने हेतु पत्र लिखा जा रहा पत्रावली वास्तु रिपोर्ट तलवी दिनांक 22/7/2024 को पेश हो।

1078
25/6/24

28.7.24

अधिवक्ता उपपक्ष उपस्थित। सम्बन्धित में रिपोर्ट प्राप्त नहीं। पत्रावली वास्तु इतना रिपोर्ट रिपोर्ट 28.8.24 को पेश हो।


57 8/11/24 65


25/7/24
27/3/24
पत्रावली
जाए



21/7/24
18/1/24
21/1/24
05/2/24
23-06-24

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर कर निवेदन किया कि उपरोक्त शीर्षक की निगरानी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जो बहस हेतु निश्चित है, उक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्ता का आपस में राजीनामा हो गया है, इस कारण निगरानीकर्ता कोई कार्यवाही करना नहीं चाहता है, साथ ही निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने नोटप्रेस कर उक्त निगरानी में आगे कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया। अतः निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा नोटप्रेस करने के कारण एवं गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने भी सहमति प्रकट करने कारण हस्तगत निगरानी इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

आदेश सुनाया गया।


अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Note Press

27/01/2025
निगरानीकर्ता
उपरोक्त

मा० का०
Idmlw
by me

27/01/2025

27/1